प्राथमिकता

संख्या-ए-2-1967/दस-सा०सी०-83-4(6)-83

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 1983

विषय :—साख-पत्र सीमा योजना में संशोधन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-२

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या--ए--2-1800/दस--83--14(6)--83, दिनांक 15 जून, 1983 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन, सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों के संबंध में लागू साख-सीमा योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु शासन ने निम्नलिखित निर्णय और लिये हैं।

(1) स्टेट बैंक की संबंधित शाखाओं को यह स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाय कि यदि उनके द्वारा किसी भी डिवीजन को निर्धारित साख-सीमा से अधिक भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की धनराशियों से संबंधित चेक्स कोषागार द्वारा प्रांतीय लेखे में शामिल नहीं किये जा सकेंगे।

(2) बैंक को प्रत्येक बार साख-सीमा निर्गत करते समय कोषाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया जायेगा कि :— ''साख-सीमा से अधिक का भुगतान बैंक द्वारा किसी भी दशा में न किया जाय और यदि बैंक द्वारा साख-सीमा में अधिक भुगतान किया जाता है तो इस अधिक भुगतान के लिये बैंक स्वयं उत्तरदायी होगा और ऐसा अधिक भुगतान कोषागार द्वारा प्रांतीय लेखे में शामिल नहीं किया जायगा।'' कोषाधिकारी अति भुगतान की धनराशियों से संबंधित चेक्स को यह लिखकर वापस कर देगें कि साख-सीमा से बाहर होने के कारण इन्हें प्रांतीय लेखे में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे प्रत्येक पत्र की प्रति कोषाधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग, संबंधित विभागाध्यक्ष, कोषागार निदेशक, जोनल मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया को पृष्ठांकित की जायेंगी।

(3) यदि किसी अधीक्षण अभियन्ता/ अरण्यपाल द्वारा अपने प्रभार के किसी डिवीजन से पुनः ग्रहण कर किसी ऐसे दूसरे डिवीजन को आवंटित करते हैं जो दूसरे ज़िले में स्थित है तो प्राप्तकर्ता जिले के कोषाधिकारी दूसरे कोषाधिकारी से प्रश्नगत हस्तांतरित साख-सीमा की उपलब्धता की पुष्टि अविलम्ब करायेंगे।

(4) शासन के स्थायी आदेश हैं कि प्रभागीय लेखाकार व्यक्तिगत रूप से कोषागार में प्रत्येक महीने की 18 तारीख को जायें और सम्बद्ध सहायक के साथ बैठकर प्रपत्र-51 में प्राप्तियां तथा भुगतानों की धनराशियों का मिलान और समाधान करें। परन्तु इन आदेशों का पालन नियमित रूप में नही किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कोषागार के स्तर पर तथा प्रभागों के स्तर पर साख-सीमा के अवशेषों में भिन्नता का समाधान नहीं हो पाता और अधिव्यय की सम्भावना बनी रहती है। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कोषाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि यदि किसी मास में जिस जिले के प्रभागीय लेखाकार/ लेखाकारों द्वारा यह मिलान का कार्य समय से न कराया जाय तो वे शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक को निर्देशित कर उस विभाग के चेकों का भुगतान (वेतन के चेकों को छोडकर जिसकी सूचना डिवीजन अधिकारी देंगे) आगामी मास से तब तक बन्द कर देंगे जब तक उपरोक्त मिलान समाधान का कार्य विधिवत् सम्पन्न नहीं कराया जाता है।

2 — कोषागारों से साख-सीमा के अन्तर्गत भुगतान किये गये चेक्स का लेखा-जोखा अद्यावधिक रखने के लिये निर्धारित कोषागार प्रपत्र संख्या-60(एस) तथा 87-ए पर रखे जा रहे रजिस्टरों से प्रविष्टियां नित्य प्रति की जावें और साख-सीमा का दैनिक अवशेष अंकित करते हुए आप द्वारा हस्ताक्षरित की जावें। चूंकि साख-सीमा से बाहर के चेक्स का भुगतान बन्द कर दिया गया है अतः प्रपत्र-60(एस) में स्तम्भ संख्या 9, 10 और 11 का उपयोग न करते हुए, इस प्रपत्र का वर्तमान स्टाक उपलब्ध रहने तक उपयोग किया जाय। कोषागार निदेशक द्वारा नया प्रपत्र स्तम्भ संख्या 9, 10 और 11 निकालकर छपवाया जायगा। प्रपत्र संख्या-82-ए में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

3— अनुरोध है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज,
सचिव ।

सं०-ए-2-1967(1)दस-सा०सी०-83-14(6)-83 , तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, लखलऊ/नई दिल्ली।
(8) सचिव, सिंचाई विभाग।
(9) सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
(10) सचिव, वन विभाग।
(11) मुख्य लेखाधिकारी/ज्येष्ठ लेखाधिकारी-कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, लखनऊ । कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ/कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ।
(12) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(13) वित्त शाखा के समस्त अनुभाग।
(14) नियोजन अनुभाग-1, 2, 3, एवं 4 ।

आज्ञा से,
जगमोहन लाल बजाज,
सचिव।